बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
पत्रांक 7358 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक 8-7-99
ग्रा0वि0 11 वि यो 22/99

प्रषक,

श्री सुधीर कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/ उपायुक्त
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय- माननीय विधान मंडल सदस्यो की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लागू मार्गदर्शिका में संशोधन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 1212 दिनांक 1.2.99 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में आंशिक संशोधन करने की घोषणा सरकार द्वारा विधान सभा में की गई थी ।

अत सरकार की उपर्युक्त घोषणा के आलोक में उक्त मार्गदर्शिका के परिशिष्ट-2 की कंडिका -7 को विलोपित करते हुए परिशिष्ट-1 में कंडिका- 33 से आगे कंडिका- 34 एवं 35 को जोड़ते हुए निम्न प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधान किया जाता है -

(34). किन्हीं विशिष्ट व्यक्ति के देहावसान के बाद उनकी स्मृति में मूर्त्ति, स्मारक भवन एवं चबुतरा का निर्माण ।

(35) टाईप मशीन एवं कम्प्यूटर का क्रय ।

बशर्ते कि अनुशंसित योजनाएं लागू मार्गदर्शिका की कंडिका 2.2 की उप कंडिका के आलोक में सार्वजनिक हित में हों ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 7358 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक 8-7-99

प्रतिलिपि- बिहार विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 10133 / ग्रा0वि0, पटना दिनांक 15 सितम्बर 99 ई0
ग्रा0वि0 11 वि यो 32/99

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/ आयुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त।

विषय. माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका में संशोधन।

महाशय,

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1212 दिनांक 1-2-99 द्वारा परिचारित माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना से संबंधित मार्गदर्शिका में पूर्ण विचारोपरान्त निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं-

1- मार्गदर्शिका की कंडिका 1.2 को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है -

इस योजना को अबसे माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जाने वाली जनकल्याण की छोटी-छोटी योजना ' के स्थान पर माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना ' के नाम से जाना जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान मंडल सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित है, उप विकास आयुक्त को अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले जिला के किसी भी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अनुशंसा कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद के ऐसे माननीय पार्षद, जिनका निर्वाचन बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा किया जाता है अथवा बिहार विधान मंडल के ऐसे सदस्य जिनका मनोनयन महामहिम राज्यपाल द्वारा किया जाता है, अर्थात विधान मंडल के ऐसे सदस्य जिनका मनोनयन महामहिम राज्यपाल द्वारा किया जाता है, एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक जिलों का चयन इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कर सकते हैं।

इसी क्रम में ऐसी योजनाएं जैसे टाउन हॉल, स्टेडियम या रेड क्रास के भवन आदि जो सामान्यतः जिला मुख्यालय में ही अवस्थित होते हैं, माननीय सदस्य अपने कोटे की राशि का उपयोग उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भी कर सकते हैं, बशर्ते कि जमीन महामहिम राज्यपाल के नाम से उक्त कार्य के लिए निबंधित कर दिया गया हो।

2- मार्गदर्शिका के साथ संलग्न परिशिष्ट-1 में कंडिका (35) को जोड़ते हुए निम्न प्रकार की योजना के कार्यान्वयन का प्रावधान किया जाता है -

' (36) नाव का क्रय बशर्ते कि अनुशंसित योजना लागू मार्गदर्शिका की कंडिका (2.2) की उप कंडिका के आलोक में सार्वजनिक हित में हो 'उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 7358 दिनांक 8-7-99 द्वारा उक्त मार्गदर्शिका के परिशिष्ट (1) में कंडिका (34) एवं (35) पूर्व में जोड़ा जा चुका है।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सुधीर कुमार
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 10133 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक 15 सितम्बर 99 ई0

प्रतिलिपि- बिहार विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव।

## बिहार सरकार
## ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1212 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक 1-2-99
ग्रा0वि0 11 वि यो 18/98

प्रषक,

श्री सुधीर कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/ उपायुक्त,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय- माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समेकित एवं संशोधित मार्गदर्शिका का संसूचन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक 10039 दिनांक 27.11.97 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय पर अनेक प्रकार की पृच्छाएं की जाती रही है, अनेक समस्याओं से विभाग को अवगत कराया जाता रहा है, एवं उनके समाधान हेतु सुझाव भी दिये जाते रहे हैं । पूर्ण विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक 10039 दिनांक 27.11.97 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों में जहां- कहीं भी अस्पष्टता/ कमियां थी या दुहराव था, उन्हें दूर करते हुए एक समेकित एवं संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न की जाती है ।

अनुरोध है कि संलग्न समेकित एवं संशोधित मार्गदर्शिका के आलोक में ही माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
सुधीर कुमार
सरकार के अपर सचिव ।

ांक 1212 पटना, दिनांक 1.2.99

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना एवं सचिव, र विधान परिषद सचिवालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव ।

क 1212 पटना, दिनांक 1.2 99

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ बिहार विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यो को सूचनार्थ वश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव ।

(4)

## माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली जानेवाली विकास योजना की समेकित एवं संशोधित मार्गदर्शिका ।

1 योजना -

1.1 माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जानेवाली जनकल्याण की छोटी-छोटी योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में प्रारंभ की गई । इस योजना का मुख्य उद्देशय ग्रामीण विकास में सहायता प्रदान करना है । यह योजना जनसमुदाय के लिए है तथा इसमें ऐसी कोई भी योजना नहीं ली जाती है, जिससे व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचे । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग के पत्राक 4226 दिनांक 30 मार्च 1988 एवं पत्रांक 444 दिनांक 12 जनवरी 1989 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों/ उप विकास आयुक्तों को निदेशित किया गया । इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्राप्त सुझावों के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना से संबंधित एक विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त विभागीय पत्राक 671 दिनांक 25 जनवरी 1991 द्वारा निर्गत किया गया । इस योजना के कार्यान्वयन में समय-समय पर उत्पन्न कठिनाइयों एवं शंकाओं के समधान हेतु आवशयकतानुसार सभी जिलों को अलग से भी समय-समय पर अनुदेश निर्गत किये गये हैं ।

माननीय विधयकों/ पार्षदो एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शंकाएं उठायी जाती रही है, अनेक समस्याओं से सरकार को अवगत कराया जाता रहा है एवं उनके समाधान हेतु सुझाव भी दिये जाते रहे हैं । विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभिन्न विचारों एवं सुझावों तथा समय-समय पर विधन मंडल मे सरकार द्वारा दिये गये आशवासनो को ध्यान में रखकर पहले निर्गत किये गये इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों/ परिपत्रों/ अनुदेशों को एक साथ करते हुए उनमें जहां कहीं भी अस्पष्टता रह गई है, उसे स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित समेकित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाते हैं -

1.2 इस योजना को अब से ' माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जानेवाली जन कल्याण की छोटी-छोटी योजना' के स्थान पर ' माननीय विधानमंडल सदस्यो की अनुशंसा पर ली जानेवाली विकास योजना ' के नाम जाना जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान मंडल सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित है, उप विकास आयुक्त को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ही निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अनुशंसा कर सकते हैं । बिहार विधान परिषद् के ऐसे माननीय पार्षद, जिनका निर्वाचन बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यो द्वारा किया जाता है अथवा बिहार विधान मंडल के ऐसे सदस्य, जिनका मनोनयन महामहिम राज्यपाल द्वारा किया जाता है, अर्थात विधानमंडल के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं होता है, एक वित्तीय वर्ष में एक या एक से अधिक जिलो का चयन इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कर सकते हैं ।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं -

2.1 प्रत्येक विधान मंडल सदस्य निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी अनुशंसा संबंधित उप विकास आयुक्त को देंगे जो स्थापित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए योजना को कार्यान्वित करायेगे । इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य का निष्पादन विभागीय तौर पर ही विभिन्न प्रखण्ड प्रशासन, कार्य विभागों, स्थानीय निकायों, विद्युत बोर्ड के संबंधित कार्य प्रमण्डल द्वारा कराया जायेगा । माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित

3.4 संबंधित जिलाधिकारी/ उप विकास आयुक्त इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यो , समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे । कार्यान्वयन एजेन्सी संबंधित आरम्भिक कार्यो , उनके कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक खर्च, प्रसेंटेज आदि नहीं लेगी ।

3.5 इस योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रक जिम्मेवारी होगी । राज्य सरकार के संबंधित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी एजेन्सी को यह सामान्य निदेश जारी करेगा कि वे उप विकास आयुक्तों द्वारा इस योजना के तहत उन्हें अग्रेषित किये गये निर्माण कार्यों में सहयोग एवं सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें । संबंधित विभाग अन्य योजनाओं की तरह इन योजनाओं का भी निरीक्षण करने एवं आवशयक तकनीकी सुझाव देने के लिए विभाग के वरीय पदाधिकारियों को आवशयक निदेश जारी करेगा । ऐसे निदेशों की प्रतियां माननीय विधायकों/ पार्षदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र या पटना स्थित उनके आवासीय पतों पर भेजी जाएंगी ।

3.6 इस योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षण संबंधी प्रक्रियाएं लागू होंगी ।

3.7 जब कभी विधान सभा/ परिषद सदस्य बदलेंगे/ चाहे इसका कारण कुछ भी हो कार्यों के क्रियान्वयन में यथा संभव निम्नलिखित सिद्धान्त अपनायें जायेंगे-

क- यदि पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा अभिज्ञापित कोई कार्य निर्माणाधीन है, या योजना का प्राक्कलन तैयार कर प्रथम अग्रिम विमुक्त किया जा चुका हो, तो इस योजना को पूरा किया जाएगा ।

ख- विधान सभा के माननीय सदस्यों से निर्वाचित पार्षद या महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान मंडल सदस्यों में से किन्हीं की सदस्यता समाप्ति के पशचात्, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, उनके कोटे की अवशेष राशि / आवंटित राशि जिस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास बची रह गयी है, वह उसे प्रबन्ध पर्षद की बैठक में विचार कर विकास योजनाओं पर व्यय करेगा । इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त आवशयक कार्रवाई करेंगे ।

ग- यदि माननीय पूर्व विधायक की अवशेष राशि के विरूद्ध अनुशंसित योजना अनुशसा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लम्बित पड़ी हो, तो उसे भी पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि वह मार्गदर्शिका के अनुरूप हो और अनुशंसा जिस वित्तीय वर्ष में की गयी हो, उसमें अनुशंसा के अनुरूप राशि उपलब्ध हो।

घ- अवशेष राशि के विरुद्ध पूर्व विधायक की अनुशंसा प्राप्त नहीं रहने की स्थिति में उक्त राशि का उपयोग नवनिर्वाचित विधायकों की अनुशंसा से नियमानुसार किया जा सकेगा ।

ड- यदि माननीय पूर्व विधायक की अवशेष राशि के विरुद्ध योजना की अनुशंसा प्राप्त हो चुकी हो, किन्तु उप कंडिका के - क,ख,एवं घ में उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से उसका निष्पादन शुरु नहीं किया गया हो, तो उसे पूरा करवाया जा सकेगा, यदि उत्तरवर्ती विधायक की सहमति प्राप्त हो।

च- उप कंडिका- ग,घ एवं ड में निहित प्रावधान बिहार विधान परिषद में शिक्षक/ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय पूर्व पार्षदों के कोटे की अवशेष राशि के उपयोग के संबंध में भी लागू होंगे ।

## 4 प्रबोधन व्यवस्था-

4.1 इस योजना के अन्तर्गत शुरु किये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग केन्द्रक विभाग होगा । प्रखण्ड स्तर पर इस योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर होगा, जबकि जिला स्तर पर उपर्युक्त दायित्व उप विकास आयुक्त का होगा । जिला पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे । उप विकास आयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति ग्रामीण विकास विभाग एवं संबद्ध सदस्य को ...

योजनाओ का कार्यान्वयन किस एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा, इसका निर्णय उप विकास आयुक्त करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा ।

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे । टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन को प्राथमिकता दी जायेगी । इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई सनिधियों का उपयोग न राजस्व व्यय के लिए अनुमान्य होगा और ना ही अन्य दूसरे मद में किया जायेगा । साथ ही निर्माण कार्यों के रखरखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्त्ती व्यय अनुमान्य नहीं होगा ।

यह योजना क्षेत्रीय विकास मे सहयोग प्रदान करने से संबंधित है । इसलिए यह योजना जन समुदाय के व्यापक हित के लिए होगी । इस योजना के अन्तर्गत ऐसी कोई भी योजना नहीं ली जाएगी, जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा वर्ग विशेष को लाभ पहुंचे । इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचेजीवन यापन करने वाले को सामान्य जनोपयोगी सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी जा सकती है ।

2.3 माननीय विधायक/ पार्षद द्वारा अनुशंसित किये गये/ चुने गये कार्य एवं कार्य स्थल को उनकी सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है ।

2.4 इस योजना के अन्तर्गत चुने गये निर्माण कार्य के लिए मात्र सरकारी भूमि का ही होना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि, यह भूमि नगरपालिका/ निगम/ अधिसूचित क्षेत्र/ पंचायतीराज संस्था/ निजी सन्यासों एव व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भी हो सकती है । इस प्रसंग में उप विकास आयुक्त इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिस संस्था या व्यक्ति ने भूमि अभ्यर्पित की है, उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का पूर्ण स्वामित्वाधिकार प्राप्त है । अस्तु, अगर किसी निजी जमीन पर कोई निर्माण कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा हो, तो निर्माण कार्य प्रारंभ करनेके पूर्व ही उप विकास आयुक्त सुनिश्चत हो लेगे कि उस जमीन को महामहिम राज्यपाल के नाम बाजाप्ता निबंधित डीड द्वारा दान कर दिया गया है, अन्यथा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन कीस्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

2.5 इस योजना के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यो की दृष्टांत सूची परिशिष्ट-1 में तथा इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यो को नहीं कराया जा सकता है, उसकी दृष्टांत सूची परिशिष्ट-2 में दी गयी है ।

3 <u>निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन -</u>

3 1 सामान्यत: सभी निर्माण कार्यो को संबंधित माननीय विधयक/ पार्षद की अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर ही प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जायेगी । प्रशासनिक मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब के लिए उप विकास आयुक्त उत्तरदायी होंगे ।

3.2 अनुशंसित योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समयपर निर्गत किए गए/ किए जाने वाले निदेशों का पालन किया जाय ।

3 3 एक से अधिक जिलों में फैले विधान सभा/ परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह उप विकास आयुक्त, जो सरकार द्वारा आवंटित की गयी धन राशि प्राप्त करते हैं, विधान मंडल सदस्य की इच्छानुसार अपेक्षित धन राशि अन्य संबंधित जिलों को भी उपलब्ध करायेंगे । विधान मंडल के वैसे सदस्य, जिन्हें महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, अथवा ऐसे पार्षद जिनका निर्वाचन बिहार विधान सभा सदस्य द्वारा किया जाताहै, की अनुशंसा के आलोक मे इंगित राशि संबंधित जिलों को उप विकास आयुक्त उपलब्ध करायेंगे, ताकि सबंधित जिलों में भी विधान मंडल सदस्य द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन हो सके । माननीय सदस्य राशि के स्थानान्तरण हेतु अपनी अनुशंसा संबंधित उप विकास आयुक्त को भेजेंगे । माननीय सदस्यों से राशि स्थानान्तरण के संबंध मे प्राप्त अनुशंसा की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर इंगित राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा संबंधित जिले को निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना संबंधित सदस्य एवं ग्रामीण विकास विभाग को दी जायेगी । इस कार्य मे लापरवाही बरतने वाले उप विकास आयुक्त के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जायेगी ।

निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे । इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के स्तर के पदाधिकारियो की यह जिम्मेवारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थल दौरा करें तथा उसका प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को भी दें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है । इसी प्रकार प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यान्वयन अभिकरण के प्रखण्ड स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी की भी यह जिम्मेवारी होगी कि वे निर्माण कार्यों के प्रत्येक स्थल का ऐसा दौरा करें।

4.2 ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के अधीन निर्माणाधीन कार्यों की पूर्ण एवं नवीनतम विस्तृत स्थिति की जानकारी रखेगा ।

4.3 इस योजना से संबंधित प्रबोधन प्रपत्र तथा अन्य मुद्दे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर तय किये जायेंगे ।

4.4 इस योजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का मासिक आकलन करने हेतु आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर उप विकास आयुक्तों की माहवारी बैठक आयोजित की जाएगी ।

4.5 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजना की मासिक प्रगति का प्रतिवेदन अगले माह की 10 तारीख तक उप विकास आयुक्त विभाग को अवश्य ही प्राप्त कराएंगे ।

## 5 सामान्य

5.1 स्थानीय लोगों को सूचित करने के उद्देश्य से माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना का निर्माण कार्य लिखा हुआ एक सूचना फलक कार्य स्थल पर लगाया जाना चाहिए ।

5.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के क्रम में उप विकास आयुक्त/ विधानमंडल सदस्यों को किसी ऐसी समस्या, स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसका उल्लेख इन मार्गदर्शी सिद्धान्तो में नहीं किया गया है । समुचित स्पष्टीकरण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के इस संबंध में पृच्छा की जा सकती है ।

5.3 इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य टिकाउ प्रकृति के होंगे । अतः इसका निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्तर एवं विशिष्टियों के अनुरूप होगे तथा इसमें स्थानीय सामानों तथा कम लागत की तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता दी जायेगी ।

5.4 इस योजना के अन्तर्गत कराये गये/ कराये जा रहे निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष नियमानुसार कराया जाना अनिवार्य है । इसके लिए उप विकास आयुक्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग महालेखाकार, बिहार से सम्पर्क स्थापित करेगे तथा इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग को भी देगे । किसी विशेष परिस्थिति में ग्रामीण विकास विभाग बीच में भी अंकेक्षण करा सकता है ।

5.5 इस योजना के अन्तर्गत लिए गए प्रत्येक योजना का अलग-अलग अभिलेख संधारित होगा । संधारण में राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

5.6 माननीय विधायकों/ पार्षदों का निर्वाचन क्षेत्र गहरी इलाकों में होने की स्थिति में शहरी इलाकों के विकास के लिए भी इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त समान रूप से लागू होगे ।

5.7 माननीय विधान मंडल सदस्यों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की इस योजना में कोई भूमिका नहीं होगी । केवल वैसी ही अनुशंसा को मान्यता दी जायगी जो माननीय विधायक/ पार्षद द्वारा उनके लेटर पैड पर उनके स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित हों ।

5.8 इस योजना के अंतर्गत किसी वस्तु/ सम्पति की खरीदगी मे सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा ।

5.9 यदि किसी विधान मंडल सदस्य द्वारा आम लोगो की भलाई के लिए किसी संस्था हेतु कोई चल सम्पति जैसी खरीदगी हेतु, यथा पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, पंचायत के लिए शामियाना, दरी

विद्यालय / महाविद्यालयों के लिए फर्नीचर आदि की अनुशंसा की जाती है तो उसकी खरीद में सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा । ऐसी वस्तुओं की खरीदगी एवं रख-रखाव हेतु निम्नांकित शर्तें लागू होगे ।

क- चल सम्पति का उपयोग सम्बद्ध संस्था ही करेगी, मगर उस संपति को यह किसी तरह हटा नहीं सकेगा ।

ख- यदि किसी एक भवन के दूसरे भवन में उन्हें ले जाना होगा, तो उसकी स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त करनी होगी ।

ग- सम्पति का उपयोग संस्था के नियम के अनुसार सभी लोग करेंगे ।

घ- सम्बद्ध संस्था के प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी सचिव, अध्यक्ष, इत्यादि जो भी हो उस सम्पति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे । उक्त पदाधिकारी उप विकास आयुक्त को यह लिखकर देंगे कि वे उपर्युक्त सभी शर्त्तों का पालन करेंगे ।

5.10 कोई संस्था यदि माननीय विधान मंडल सदस्य के नाम से हो, परन्तु उक्त संस्था आम जनता के लिए उपयोगी एवं लाभकारी हो तथा उसका निबंधन/ सम्बंधन हो, तो उस स्थिति में विधान मंडल के सदस्य उक्त संस्था में अपनी राशि का उपयोग निर्माण/ विकास कार्य में कर सकते हैं ।

5 11 इस योजना के तहत जमा राशि पर अर्जित सूद का व्यय मुख्य योजना के साथा ही किया जाना है । वैसे, सामान्यतः उतनी ही राशि कोषागार से निकाली जानी चाहिए, जिसे शीघ्रातीशीघ्र प्रक्रिया पूरी कर खर्च कर दिया जाय, ताकि वह लम्बे समय तक बैंक में जमा नहीं रहे ।

# परिशिष्ट-1

## माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची -

1 सिंचाई के लिए पक्का बांध, जिससे आमलोगों की जमीन का पटवन हो सके ।
2. सिंचाई के लिए पक्की नालियाँ, जिसका सार्वजनिक उपयोग हो ।
3. सार्वजनिक/ सरकारी तालाब की उगाही एवं मरम्मति ।
4 सार्वजनिक तालाब / नदी में घाट का निर्माण / जीर्णोद्धार एवं कपड़ा बदलने के लिए स्थान का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
5 सार्वजनिक जल निकासी सुविधाओं यथा, नाला, गटर इत्यादि का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
6 गांवों, कस्बों अथवा नगर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण/ जीर्णोद्धार अथवा ऐसे निर्माण कार्य जो इस दृष्टि में सहायक हों ।
7 गांवों, कस्बों तथा नगरों में मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पार्ट सड़क, लिंक सड़क एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
8 उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों तथा नलकूपों की नहरों पर पुल/ पुलिया का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
9 सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, सामुदायिक भवन, व्यायाम केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र, क्रीड़ा केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों / फर्नीचरों की खरीद ।
10. व्यायाम केन्द्रों, जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त सेवक संघों, सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कसरतों की सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
11. सरकारी अथवा सामुदायिक भूमियों अथवा प्रदत्त भूखंडों पर सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, बागवानी, चारागाहों, पार्कों एवं उद्यानों की व्यवस्था ।
12. शहरों, कस्बों तथा गांवों की गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के निवास क्षेत्रों में बिजली पानी, पथ, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था ।
13. गंदी बस्ती क्षेत्रों/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के निवास क्षेत्रों में कारीगरों के उपयोग हेतु सामान्य कार्मशाला शेडों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
14. शवदाह/ श्मशान भूमि पर शवदाह गृहों का निर्माण एवं ढांचों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
15. शिशुगृह एवं आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
16. ग्रामीण/ शहरी विद्युतीकरण में सहायता प्रदान करने की योजना ।
17. सिंचाई तटबंधों अथवा लिफ्ट सिंचाई अथवा वाटर टेबल रिचार्जिंग सुविधाओं का निर्माण/ जीर्णोद्धार।
18. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के लिए बस पड़ाव / शेडों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
19. सार्वजनिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए गोबर गैस संयंत्रों, गैर परम्परागत उर्जा प्रणालियों/ साधन उपयोगों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
20. गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद-बीज, कीटनाशक दवाओं इत्यादि रखने के लिए गोदाम का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
21. आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।
22. पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।

23. सरकारी प्राथमिक, मध्य विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों/ विशेषविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/ महाविद्यालय स्थानीय निकायों के भी हो सकते हैं तथा उपस्कर, उपकरण आदि की व्यवस्था ।

24. ग्रामीण / शहरी बेरोजगार नवयुवकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।

25. वृद्धों अथवा विकलांगों के लिए सामान्य आश्रयगृहों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।

26. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं औ र अस्पताल उपस्करों की खरीद करना तथा सरकारी/ पंचायत राज संस्थाओं द्वारा पिछड़े एवं आदिवा सी क्षेत्रों में चलते-फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना ।

27. ए0एन0एम0 आवासीय मकानों के साथ-साथ परिवार कल्याण उपकेन्द्रों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार ।

28. टिकाऊ परिसंपत्ति तथा विद्यालय भवन, महाविद्यालय भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र एवं पंचायत भवन के संरक्षण एवं उन्नयन हेतु जीर्णोद्धार कार्य ।

29. सरकारी विद्यालयों की घेराबंदी ।

30. कब्रिस्तान की घेराबन्दी ।

31. स्मारक भवन का निर्माण/ यज्ञशाला, अतिथिशाला/ महत्वपूर्ण कर्मियों/ स्वतंत्रता सेनानियों की यादगार में अतिथिशाला/ भवन निर्माण ।

32. मान्यता प्राप्त मदरसा/ मकतब के भवन के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य ।

33. विधान मण्डल सदस्यों द्वारा अनुशंसित वैसे अन्य जनकल्याणकारी कार्य जो समाहर्त्ता/ उप समाहर्त्ता आयुक्त के अनुसार भी सार्वजनिक हित में हो ।

----------0----------

# परिशिष्ट-2

**माननीय विधायकों/ पार्षदों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजना के तहत नहीं कराये जाने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची -**

1. किसी भी टिकाऊ परिसंपत्ति के संरक्षण/ उन्नयन के लिए जीर्णोद्धार कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार की मरम्मति एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य ।
2. अनुदान एवं ऋण ।
3. भूमि का अधिग्रहण अथवा अधिगृहित भूमि के लिए कोई मुआवजा राशि का भुगतान ।
4. निजी संस्थानों से संबंधित निर्माण एवं अन्य कार्य ।
5. किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी निर्माण/ मरम्मति कार्य ।
6. राज्य सरकार के विभागों / अभिकरणों / संगठनों से संबंधित कार्यालय भवन/ आवासीय भवन / अन्य भवनों का निर्माण ।
7. मूर्ति स्थापना ।

----------0----------